न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 14/2021, जिला दौसा

1. बद्रीप्रसाद उम्र 74 वर्ष पुत्र श्री नन्दा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम उदावाला, तहसील व जिला दौसा राजस्थान।

-- अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सैंथल, जिला दौसा। तहसील बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान।

-- रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट बनाराजगी जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 29.12.2020 बअपील संख्या 152/2020 जिसरो आदे । नायब तहसीलदार सैंथल दिनांक 20.08.2018 सरकार बनाम बद्रीप्रसाद मुकदमा नम्बर 127/2018 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट बहाल रखा गया।

उपस्थित--

1. श्री सुबोध कुमार अग्रवाल, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1

निर्णय

दिनांक --19.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 29.12.2020 के खिलाफ दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 20.08.2018 को ग्राम उदावाला तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 190 में से रकबा 0.01 है0 सिवायचक किस्म गै0 मु0 रास्ता भूमि पर संवत 2075 में पुख्ता डंडा निर्माण करने पर अपीलांट को अतिक्रमण को दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील शपथ पत्र के साथ सुनवाई हेतु यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 द्वारा खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 20.08.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 29.12.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

3. नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 20.08.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 29.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 20.08.2018 तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 29.12.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने निजी खाते की भूमि खसरा नम्बर 191 वाके ग्राम उदावाला, सैंथल जिलाा दौसा की सुरक्षा की दृश्टि से काफी अर्से पहले से डन्डा लगा रखा है। जिसमें काफी रूपया खर्च कर चुका है। डन्डा कतई सरकारी भूमि या सिवाय चक भूमि पर नही है। अपने निज खाते की भूमि खसरा नम्बर 191 में बनाया गया सुरक्षा की दृष्टि से बनाया हुआ है। जिस

Scanned by CamScanner

पर 91 आर.एल.आर. की कार्यवाही कर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट अतिकमण की, की जिसमें आनन–फानन में वास्तविक भूमि जांच पडताल नाप जोख कर बगैर नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 20.08.2018 को आदेश पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को बेदखल कर सिविल जेल 90 दिवस का दण्ड देकर आदेश प्रदान कर दिया। दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध नियमानुसार अन्दर अवधि अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के अपील पेश की जहां अपीलान्ट ने अपने निज खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 191 में मवेशियों इत्यादि से सुरक्षा निज खाते में पुख्ता डन्डा बनाने की कही। यह भी कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की गलती से निज खाते में बनाये हुए डन्डे को अतिक्रमण गलत रूप से मान लिया है। जिसकी जांच करा ली जावे, नाप जोख करा ली जावे, और उल्लेखित डन्डा कदिमी अर्से दराज से बना हुआ है, बिना वजह अपीलान्ट जो जहीफूल उम्र का लगभग 73 वर्ष का है उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल जेल भेजे जाने का गलत आदेश दिया है। लेकिन अधीनस्थ कलेक्टर महोदय ने पटवारी हल्का द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट को तथा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को तवज्जो देकर प्रार्थी अपीलान्ट की अपील आदेश दिनांक 29.12.2020 से खरिज कर दी। जिससे अपीलान्ट काफी दुःखी व प्रभावित व पीडित है तथा मानसिक वेदना में है। प्रार्थी/अपीलान्ट का पुख्ता डन्डा पुराने समय से चला आ रहा है। प्रार्थी अपीलान्ट को अपने खाते व कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। गलत रूप से प्रक्रिया अपनाकर प्रार्थी अपीलान्ट को सिविल कारावास से दण्डित करने का जो आदेश दिया है वह समरली निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा जिसके सम्बन्ध में वाद दुरूस्ती इन्द्राज धोषणा न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा में पेश कर रखा है। अपीलान्ट द्वारा कोई अतिचार नहीं कर रखा है। वास्तविकता में जो डन्डा कायम है वह सार्वजनिक अथवा सिवायचक भूमि पर बना हुआ नहीं है। निज खाते की भूमि की सीमा में ही बना हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन हो जाने के कारण अर्से दराज से निर्मित डन्डे को अतिक्रमण मानकर बिना भूमि की नाप जोख करे वास्तविक स्थिति का पता लगाये बगैर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर जो हर दोनों अदालतों ने आदेश पारित किया है वह कतई गैर वाजिब है। निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा आदेश दिनांक 29.12.2020 एंव नायब तहसीलदार सैंथल आदेश दिनांक 20.08.2018 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरादवर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पर अपीलांट स्वंय के हस्ताक्षर अंकित है, जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इन्द्राज दुरूस्ती बाबत कोई वाद किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने संबंधित साक्ष्य/अभिलेख अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। गिरदावर के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में

Scanned by CamScanner

राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर पुख्ता डंडा निर्माण कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अंकित है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट को दिनांक 19.08.2018 को नोटिस तामील हुआ है। नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पटवारी हल्का के भी बयान दर्ज किये गये हैं। पटवारी हल्का ने अपने बयान में यह कथन किया है कि अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया। इसके बावजूद उक्त ने पुनः आराजी नं. पर अतिचार किया है। यह पश्चातवर्ती व आदतन अतिचारी है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती बाबत कोई वाद किसी सक्षम न्यायालय में दायर कर रखा है तो जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निर्णय नहीं हो जाता है। तब तक उसे उक्त विवादित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>अतः</u> अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 29.12.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner